कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः 1454/FP/UK/ROAD/13657/2015 दिनॉकःदेहरादून 20 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.194 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग का हस्तान्तरण।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक– 8बी./यू. सी.पी./06/100/2016/एफ0सी0/1682, दिनांक–29.10.2020।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 29.10.2020** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराया गया है कि उक्त योजना के नालीवाला ग्राम जो कि अभी तक किसी मोटर मार्ग से जुड़ा नहीं है, को सहस्त्रधारा (कर्लिगाड) से जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। मार्ग की डी0पी0आर0 का गठन पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत कोर नेटवर्क के आधार पर किया गया तथा प्रस्तावित समरेखण पर ही लाभार्थी ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सहमति भी दी गयी थी। तदानुसार डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार को प्रेषित की गई एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमतापूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से राजधानी क्षेत्र से इस क्षेत्र की दूरी 40 कि0मी0 कम हो जायेगी, जिससे स्थानीय लोगों के समय की बचत होगी एवं उनकी आमदनी भी बढेगी। मोटर मार्ग के अभाव के कारण क्षेत्र में पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जो कि राज्य सरकार के रिर्वस पलायन की सोच को पूरा करेगा। इनके अतिरिक्त क्षेत्र के नालीवाला ग्राम के अलावा भी और ग्रामों को भी राजधानी आने का छोटा एवं सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तक भी क्षेत्र वासियों को पहुंच सुगम हो जायेगी, जिससे भारत सरकार का रोजगार अवसरों के अधिक सृजन एवं गरीबी निवारण करने के उद्देश्य की यह योजना भी पूर्ण होगी। कृपया उक्त प्रस्ताव को दिनांक 26–11–2020 को आहूत आर0ई0सी0 की बैठक में रखने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

20/11/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी